**वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागः**

**दैनिक बजार अनुगमन मिति २०८०-१२-१३ गते मंगलबार ।**

यस विभागको नियमित बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसायी/फर्म/संस्था/कम्पनी व्यक्तिको कारोवारस्थल/उत्पादनस्थल र गोदामस्थलमा निगरानी तथा अनुगमन गर्नका लागि परिचालित भएका निरीक्षण अधिकृतहरुले बजार अनुगमन गर्दा देहाय वमोजिमको अवस्था देखिएको छ ।

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **विभाग । कार्यालय** | **टोली नं.** | **टोली सदस्य संख्या** | **अनुगमनको क्षेत्र वा स्थान** | **विषयगत क्षेत्र** | **अनुगमनको प्रकार** | **देखिएको अवस्था (कसुर)** | **कारवाही** |
| १ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १० | २ | सुकेधारा | इलेक्ट्रिकल ÷ इलेक्ट्रोनिक्स | नियमित | खरिद बिल बिजक राख्नु पर्ने,खरिद विल विजक नराखेको | रु १००००/- (दश हजार रुपैया मात्र) जरिवाना गरिएको । |
| २ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १० | २ | सुकेधारा | खाद्य वस्तु | नियमित | खरिद बिल बिजक राख्नु पर्ने,खरिद विल विजक नराखेको | रु १००००/- (दश हजार रुपैया मात्र) जरिवाना गरिएको । |
| ३ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | ३ | २ | मण्डनदेउपुर | होटल तथा रेस्टुरेन्ट | नियमित | रिलेवलिङ गरेको वा गुणस्तर, परिमाण, मुल्य, नापतौलमा हेरफेर गरेको | रु २०००००/- (दुई लाख रुपैया मात्र) जरिवाना गरिएको । |
| ४ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १५ | ३ | बल्खु | रेडिमेड तथा थान कपडा | नियमित | खरिद बिल बिजक राख्नु पर्ने,खरिद विल विजक नराखेको | रु ५०००/- (पाँच हजार रुपैया मात्र) जरिवाना गरिएको । |
| ५ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १५ | ३ | बल्खु | गिफ्टका सामान | नियमित | खरिद बिल बिजक राख्नु पर्ने,खरिद विल विजक नराखेको | रु ५०००/- (पाँच हजार रुपैया मात्र) जरिवाना गरिएको। |
| ६ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | ३ | ३ | भट्टेडाँडा | खाद्य वस्तु | नियमित | सहयोग गर्नु पर्ने,सहयोग नगरेको | रू १०००/- (दश हजार रूपैया मात्र) जरिवाना गरिएकाे । |
| ७ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १० | २ | सुकेधारा | भाँडाकुडा | नियमित | कागजात माग भएको | व्यवसाय दर्ता संग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात लिइ ३ दिन भित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन। |
| ८ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १० | २ | सुकेधारा | कस्मेटिक | नियमित | कागजात माग भएको | व्यवसाय दर्ता संग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात लिइ ३ दिन भित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन। |
| ९ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १५ | ३ | बल्खु | होटल तथा रेस्टुरेन्ट | नियमित | कागजात माग भएको | व्यवसाय दर्ता संग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात लिइ ३ दिन भित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन। |
| १० | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १० | ४ | सुकेधारा | जुत्ता चप्पल | नियमित | अन्य निर्देशन दिइएको | सामान्य निर्देशन दिईएको । |
| ११ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १० | ४ | बालाजु | ग्याँस | नियमित | अन्य निर्देशन दिइएको | सामान्य निर्देशन दिईएको । |
| १२ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १४ | २ | खुमलटार | खाद्य वस्तु | नियमित | अन्य निर्देशन दिइएको | सामान्य निर्देशन दिईएको । |
| १३ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १४ | २ | खुमलटार टुटेपानी | मदिरा एवम सूर्तिजन्य | नियमित | अन्य निर्देशन दिइएको | सामान्य निर्देशन दिईएको । |
| १४ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १४ | २ | ललितपुर | हार्डवयर | नियमित | अन्य निर्देशन दिइएको | सामान्य निर्देशन दिईएको । |
| १५ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १५ | ३ | बल्खु | रेडिमेड तथा थान कपडा | नियमित | अन्य निर्देशन दिइएको | सामान्य निर्देशन दिईएको । |
| १६ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | १५ | ३ | बल्खु | फर्निचर एण्ड फिक्चर्स | नियमित | अन्य निर्देशन दिइएको | सामान्य निर्देशन दिईएको । |
| १७ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | ३ | ७ | बागबजार | होटल तथा रेस्टुरेन्ट | नियमित | अन्य निर्देशन दिइएको | सामान्य निर्देशन दिईएको । |
| १८ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | ३ | २ | चाँगुनारायण नगरकोट | ग्याँस | नियमित | अन्य निर्देशन दिइएको | सामान्य निर्देशन दिईएको । |
| १९ | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | ३ | २ | नगरकोट | खाद्य वस्तु | नियमित | अन्य निर्देशन दिइएको | सामान्य निर्देशन दिईएको । |
| २० | वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | ३ | २ | नगरकोट | खाद्य वस्तु | नियमित | अन्य निर्देशन दिइएको | सामान्य निर्देशन दिईएको । |